UPM0010058732025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी– (सुरेन्द्र कुमार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02401**

दाण्डिक निगरानी संख्या–173/2025

शादाब पुत्र अली हसन,
निवासी–गुलाब मस्जिद के पीछे हरथला, थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद ।

..... **निगरानीकर्ता।**

बनाम

1. उ 0 प्र 0 सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), मुरादाबाद।
2. फहीम अहमद पुत्र नसीम अहमद,
3. नसीम अहमद पुत्र मौला बक्श,
   निवासीगण–ग्राम लोधीपुर जवाहर नगर, जिला मुरादाबाद ।

..... **विपक्षीगण।**

निर्णय

(1)– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अन्तर्गत धारा–438 बी0 एन 0 एस 0 एस 0, निगरानीकर्ता ने विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मुरादाबाद द्वारा मौ0 सादाब बनाम मौ0 फहीम आदि में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.05.2025 के विरुद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के द्वारा निगरानीकर्ता का उक्त वाद अन्तर्गत धारा–173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 निरस्त किया गया है।

(2)– संक्षेप में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के तथ्य इस प्रकार हैं कि, "प्रार्थी कि बहन श्रीमती इरम को उसके ससुराल वाले प्रता़डित कर रहे थे, तब दिनांक 22.11.2023 को प्रार्थी अपनी बहन श्रीमती इरम की खैर खबर लेने उसकी ससुराल ग्राम लोधीपुर जवाहर नगर जिला मुरादाबाद गया था, जहाँ पर श्रीमती इरम के पति फहीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, ससुर नसीम अहमद पुत्र मौला बक्श के द्वारा प्रार्थी से मारपीट की गई थी, जिससे प्रार्थी गम्भीर रूप से घायल हो गया था। प्रार्थी अपने भाई की स्कूटी स०–यू०पी०–21–सी0 के0–8457 से अपनी बहन की खैर खबर लेने गया था। उक्त लोगों ने प्रार्थी के साथ मारपीट कर स्कूटी को उक्त लोगों के द्वारा छीनकर अपने पास रख लिया गया था जो कि अभी भी फहीम अहमद और नसीम अहमद के पास व उनके कब्जे में है तथा वह प्रार्थी को उसकी स्कूटी वापस नहीं कर रहे है। प्रार्थी इस सम्बन्ध में कई बार पूर्व में एस०एस०पी० के समक्ष उपस्थित होकर व रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 03.05.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुका है, परन्तु प्रार्थी को अभी तक उसकी स्कूटी वापस नहीं मिली है और न ही उक्त लोगों के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही ही की गई है। प्रार्थी मजबूर होकर माननीय न्यायालय की शरण में उक्त लोगो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु आया है।"

(3)– निगरानीकर्ता ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष अपने कथनों के समर्थन में

दस्तावेजीय साक्ष्य में गाड़ी की आर.सी. की प्रति, इंश्योरेंस की प्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी। तत्पश्चात् विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत निगरानीकर्ता का विविध वाद अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 खारिज कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गई है।

(4)– निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि, प्रार्थी की बहन श्रीमती इरम को उसकी ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे, तब दिनांक 22.11.2023 को शाम करीब 7.00 बजे प्रार्थी अपने पिता के कहने पर बहन की खैर खबर लेने उसकी ससुराल ग्राम लोधीपुर जवाहर नगर मुरादाबाद गया था, जहाँ पर इरम के पति फहीम अहमद, ससुर नसीम अहमद के द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट की गई और घायल कर दिया गया, जिसकी एन०सी०आर० थाना मझोला में एन०सी०आर स०–0392/2023 अर्न्तगत धारा 323/504 भा०द०स० में दर्ज की गई जो कि बाद में अ0स0–146/2024 अर्न्तगत धारा 323/504 भा०द०स० में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल हो चुका है। थाना हाजा की पुलिस के द्वारा प्रार्थी की एन०सी० आर दर्ज करने के बाद उसका मेडिकल कराया गया। प्रार्थना पत्र किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। प्रार्थी क्योंकि घायल था, इसलिए अपनी स्कूटी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर पाया था, जबकि प्रार्थी के साथ फहीम अहमद और उसके पिता नसीम अहमद अन्य घरवालो के द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया था और उसकी स्कूटी छीन ली गई थी जो अभी भी उक्त लोगों के पास है। अपनी स्कूटी स०–यू०पी०–21–सी0के0–8457 को वापस लेने के लिए प्रार्थी कई बार थाने गया और रजिस्टर्ड डाक से एस०एस०पी० को सूचित किया, परन्तु प्रार्थी को उससे छीनी गई स्कूटी वापस नहीं दी गई। स्कूटी को वापस लेने हेतु प्रार्थी के द्वारा कई प्रार्थना पत्र थाने पर और उच्च अधिकारीयों को दिये गये, परन्तु प्रार्थी की स्कूटी वापस देने के लिए जब कोई कार्यवाही पुलिस के द्वारा नहीं की गई। तब प्रार्थी ने 173 (4) बी०एन०एस०एस० का प्रार्थना पत्र श्रीमान सी० जे०एम महोदय के न्यायालय में दिनांक 16.05.2025 को प्रस्तुत किया था जिस पर अवर न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.05.2025 को मात्र यह कहते हुए कि प्रार्थी के द्वारा न्यायालय के द्वारा घटना के सम्बन्ध में बताया गया, किन्तु घटना के सम्बन्ध में थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास नहीं किया गया है। इसको आधार बनाते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० थाना मझोला जनपद मुरादाबाद निरस्त कर दिया गया है जो कि विधि विरूद्ध है जिससे रिवीजनकर्ता को न्याय की हानि होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में जो तथ्य उठाये गये, वह संज्ञय अपराध की श्रेणी में आते है। स्कूटी को बरामद तभी किया जा सकता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज हो अन्यथा स्कूटी की बरामदगी नहीं हो पायेगी। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि–विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 को निरस्त फरमाकर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करने की याचना की गयी है।

(5)– विपक्षीगण संख्या–1व 2 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि, निगरानी के आधार के पेरा सं0–1 में निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 22.11.2023 की जो घटना दर्शायी गयी है, उस घटना की तहरीर में रिवीजनकर्ता द्वारा स्कूटी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके पश्चात् निगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में धारा–156 (3) सीआर०पी०सी० का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एन०सी०आर० संख्या–392/2023 को मु0 अ 0 सं0–146/2024 धारा–323, 504 आई०पी०सी० बनाम नसीम अहमद आदि थाना सिविल लाइन्स में पंजीकृत होकर उक्त वाद की विवेचना की गयी, जिसमें विवेचना के दौरान स्कूटी से सम्बन्धित कोई भी वाद विवेचक के समक्ष नहीं आयी और एक अभियुक्त रूबी की नामजदगी गलत पायी गयी तथा आरोप–पत्र संख्या–309/2024 धारा–323, 504 आई०पी०सी० के अन्तर्गत प्रार्थीगण तथा श्रीमती सबिया के विरूद्ध न्यायालय में प्रेषित किया गया। यदि दिनांक 22.11.2023 की घटना में स्कूटी प्रार्थीगण के घर होती तो उक्त वाद की विवेचना में किसी न किसी गवाह द्वारा स्कूटी के बारे में अवश्य बताया गया होता, जबकि विवेचना के दौरान किसी भी गवाह ने अपने ब्यानों में कथित स्कूटी का कोई उल्लेख नहीं किया है, इससे प्रतीत होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थीगण पर स्कूटी से सम्बन्धित लगाये गये आरोप निराधार एवं झूठे हैं और उक्त निगरानी निरस्त होने योग्य है। दिनांक 22.11.2023 को निगरानीकर्ता शादाब व उसके पिता अली खान तथा भाई शमी, शरफराज व माँ अफसाना ने प्रार्थीगण के घर में जबरन घर में घुसकर गन्दी–गन्दी गालियां देकर प्रार्थी नसीम अहमद को लात–घूंसो व लाठी–डन्डो से मारा–पीटा, जिसमें प्रार्थी को काफी चोटे आईं। जब प्रार्थी नसीम अहमद को उसकी पत्नी सबिया व बेटा फहीम अहमद, बचाने आये तो उपरोक्त लोगों ने उन्हें भी मारा–पीटा। मौहल्ले के लोगों के आने पर उपरोक्त सभी जान से मारने की धमकी देकर चले गये, जिसमें प्रार्थी नसीम अहमद का मेडिकल थाना हाजा की पुलिस द्वारा कराया गया था, परन्तु थाना हाजा की पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इसके पश्चात् प्रार्थी नसीम अहमद द्वारा ए०सी० जे०एम०–6, महोदय, मुरादाबाद के न्यायालय में परिवाद संख्या–3225/2024 योजित किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता तथा उसके पिता अली खान, माँ श्रीमती अफसाना, भाई शमी तथा शरफराज को धारा–323, 504, 506, 452 आई०पी०सी० में तलब किया गया। निगरानीकर्ता की बहन इरम द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश से थाना हाजा पर मु0 अ 0 सं0–2/2024 धारा 498 ए, 323, 504, 376 आई०पी०सी० व 3/4 डी० पी० एक्ट के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिसमें दिनांक 22.11.2023 की ही एक फर्जी घटना छेड़छाड़ व बलात्कार के सम्बन्ध में दर्शायी गयी और उसमें भी कथित स्कूटी का उल्लेख किया गया, परन्तु उक्त वाद की विवेचना के दौरान भी स्कूटी के सम्बन्ध में विवेचक महोदय को किसी भी गवाह द्वारा कुछ नहीं बताया गया और न ही विवेचक महोदय ने आरोप–पत्र में इस बात का कोई उल्लेख किया है। यदि प्रार्थीगण के पास निगरानीकर्ता की स्कूटी होती तो विवेचना के दौरान किसी न किसी गवाह के ब्यानों में स्कूटी का जिक्र आता, जबकि ऐसा नहीं है, इससे प्रतीत होता है कि निगरानीकर्ता मुकदमेंबाजी की रंजिश के कारण झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के ऊपर झूठे एवं अनर्गल आरोप लगा रहा है। निगरानीकर्ता के अनुसार स्कूटी की घटना दिनांक 22.11.2023 की है, जबकि निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 16.05.2025 को सी0 जे०एम०, मुरादाबाद के न्यायालय में धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० का प्रार्थना–पत्र इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र में निगरानीकर्ता द्वारा घटना के लगभग डेढ़ वर्ष बाद कार्यवाही की गयी और अपने प्रार्थना–पत्र में देरी का कोई कार्य एवं स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया है। सी० जे०एम० महोदय, मुरादाबाद के द्वारा इसी आधार पर दिनांक 19.05.2025 को निगरानीकर्ता का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर

173(4) बी०एन०एस०एस० का प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसको आधारहीन पाते हुये सी० जे०एम० महोदय, मुरादाबाद के द्वारा निगरानीकर्ता का उक्त प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 बिल्कुल सही तथ्यों के अनुरूप एवं विधि अनुसार है। अवर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्यो का विधिपूर्वक परिशीलन एवं अवलोकन करते हुए पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त किये जाने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

(6)– मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं0–1 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) की बहस को सुना एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक रूपेण अवलोकन किया।

(7)– विपक्षी संख्या–1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.05.2025 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी संख्या–2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

(8)– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.05.2025 को निरस्त कर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की है।

(9)– विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, निगरानीकर्ता के द्वारा विचारण न्यायालय में विविध वाद प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175(3) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षीगण ने छल फरेब से उसके नाबालिक लड़के से दिनांक 07.07.2023 को फर्जी बयनामा परवेन्द्र सिंह ने अपने नाम करवा लिया। निगरानीकर्ता ने विपक्षीगण के खिलाफ कार्यवाही की तो दिनांक 26.01.2025 को निगरानीकर्ता व लड़की प्रिया को मारापीटा व बदतमीजी की। उक्त विपक्षीगण से कार्यवाही से बचने के लिए नाबालिक सार्थक से कराये गये फर्जी बयनामे की आराजी को अपने साथी धीरेन्द्र चौहान व निकांशु चौहान के नाम फर्जी बयनामा पुनः कर दिया। दिनांक 16.03.2025 को दिन के करीब 11.00 बजे उक्त विपक्षीगण निगरानीकर्ता के घर आये तथा फर्जी बयनामे के दो लाख रूपये देकर कार्यवाही न करने को कहा तथा मना करने पर निगरानीकर्ता व लड़की प्रिया को लात घूसो व थप्पड़ों से मारने हुए बदतमीजी करने तथा अश्लील हरकते करने का कथन किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत निगरानीकर्ता का विविध वाद अंतर्गत धारा 175(3) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गई है।

(10)– यहां सर्वप्रथम धारा 175(3) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि, धारा 175(3) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय मजिस्ट्रेट को विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। वह मामले को खारिज कर सकता है एवं उसे परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

पारित कर सकता है।

(11)– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, दिनांक 22.11.2023 की घटना के सम्बन्ध में ही एक एन.सी.आर. संख्या–392/2023, अन्तर्गत धारा–323, 504 भारतीय दण्ड संहिता, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद पर निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा दर्ज करायी गयी, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (Certificate of Registration) में वाहन संख्या–UP21 CK 8457 का मालिक सरफराज पुत्र अली हसन को दर्शाया गया है, न कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी को। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह कहते हुए निगरानीकर्ता/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है कि, "न्यायालय द्वारा प्रार्थी से उसके साथ कारित हुई घटना के सम्बन्ध में पूछने पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय को घटना के सम्बन्ध में बताया गया, किन्तु घटना के सम्बन्ध में थाने पर रिपोर्ट दर्ज का प्रयास नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी अंकित नहीं किया गया है कि थाने पर जाकर मुकदमा पंजीकृत करने का प्रयास किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा मात्र न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा स्वयं ही घटना की सूचना थाने पर नहीं दी गयी है तो ऐसी स्थिति में प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी. एन.एस.एस. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।" इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 19.05.2025 किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता शादाब की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–173/2025, अन्तर्गत धारा–438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 19.05.2025 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि, इस आदेश की एक प्रति, अवर न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ, अवर न्यायालय में नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 17.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 17.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।